**प्रकरण संख्या 70/2018 कालू बनाम शंकरलाल**

| तारीख हुक्म | हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 25.11.2019 | प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 6 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के संयुक्त स्वामित्व की आराजी नंबर 447, 701 व 703 कुल किता 3 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा एवं आराजी नंबर 65 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा ग्राम सोनीयाणा में स्थित हैं। उक्त भूमियों में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का 1/2 हिस्सा संयुक्त रूप से राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, किन्तु भूमियों का विधिवत विभाजन नहीं होने से भूमि के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। अतः वादग्रस्त भूमियों का विधिवत विभाजन किया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे।<br><br>अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर अपने निर्णय दिनांक 18.05.2017 से वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 18.12.2018 को प्रस्तुत की गयी है।<br><br>अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 6 की ओर से वकील श्री मुरारीलाल दशोरा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 11 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।<br><br>अपीलान्ट द्वारा दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थी, अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर उक्त तथ्य की जानकारी हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।<br><br>हमने उक्त आवेदन पर उभयपक्षों की बहस सुनकर मनन किया तो यह पाया कि राजस्व लोक अदालत में अपीलान्ट के उपस्थित होने की प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं है। अतः दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण | |

**प्रकरण संख्या 70/2018 कालू बनाम शंकरलाल**

की जाती है।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया तथा मुख्य रूप से यह आपत्ति ली कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण जिरह हेतु नियत था, किन्तु इसी बीच पत्रावली राजस्व लोक अदालत में रखकर विभाजन का वाद स्वीकार कर दिया, जबकि पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा नहीं हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय ने बिना जिरह का अवसर दिये एवं बिना राजीनामे के प्रकरण राजस्व लोक अदालत में निर्णित कर दिया जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार होना बताते हुए अपील खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि प्रकरण जिरह हेतु लम्बित था, किन्तु बिना जिरह के प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर निर्णय पारित कर दिया, जबकि पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा नहीं हुआ है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय एवं विधि के विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18.05.2017 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारान को जिरह का अवसर देकर एवं उन्हें विधिवत सुनकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 24.01.2020 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 25.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

प्रकरण संख्या 70 / 2018 कालू बनाम शंकरलाल

## प्रकरण संख्या 70/2018 कालू बनाम शंकरलाल

| | | |
|---|---|---|
| | | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Jodhawat
Date: 2019.12.04 16:36:54 IST
Reason: SelfAttested
Location: